



नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

ऑनलाईन काउंसलिंग कार्यक्रम 2020-21

Bachelor of Fishery Science (B.F.Sc.)

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा प्री. वेटनरी एण्ड फिशरी टेस्ट 2020 (PV & FT-2020) द्वारा घोषित परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के अंतर्गत मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर में बी.एफ.एससी (4 वर्षीय) स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के इच्छुक समस्त उम्मीदवार अर्हताकारी परीक्षा में प्रावीण्य सूची के आधार पर तालिका क्र. 1 में दिये गये श्रेणीवार प्राप्त प्राप्तांक या उससे अधिक प्राप्त प्राप्तांक के समस्त अभ्यर्थी, एवं तालिका क्र. 2 में दर्शाये कार्यक्रमानुसार ऑनलाईन काउंसलिंग में इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गांव से वेबसाइट www.ndvsu.org अथवा www.crisponlineservices.com के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं ।

तालिका क्र. 1

क्र.	श्रेणी	पी.व्ही. एण्ड एफ .टी. 2021 में प्राप्त प्राप्तांक
1	अनारक्षित श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी UR (F)	33 या अधिक
2	अनारक्षित श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी UR (X)	50 या अधिक
3	अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी UR (EWS)	50 या अधिक
4	अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी OBC(F)	45 या अधिक
5	अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी OBC(X)	50 या अधिक
6	अनु. जाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी SC (F)	39 या अधिक
7	अनु. जाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी SC (X)	39 या अधिक
8	अनु. जनजाति श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी ST (F)	39 या अधिक
9	अनु. जनजाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी ST (X)	39 या अधिक

वर्ग: F = महिला, EWS = सामान्य वर्ग के अधिक रूप से कमजोर, X = इनमें से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग

तालिका क्र. 2

काउंसलिंग के चरण	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता क्रम का चयन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान कर लॉक करना	आवंटन पत्रों की ऑनलाईन उपलब्धता	आर्बटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क के साथ अभ्यर्थी की स्वयं की उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश
प्रथम चरण	01/02/2021 से 06/02/2021 (रात 12 बजे तक)	08/02/2021	10/02/2021 एवं 11/02/2021 (अवकाश दिवस छोड़कर सुबह 11बजे से शाम 4 बजे तक)

- काऊंसलिंग प्रक्रिया, उपलब्ध सीटें एवं शुल्क की विस्तृत जानकारी www.ndvsu.org तथा www.crisponlineservices.com पर उपलब्ध है जिसका उम्मीदवार सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद ही ऑनलाईन पंजीयन करायें।
- प्रवेश हेतु प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. 2020 (PV& FT-2020) में दिये गए प्रवेश नियमों का पालन किया जावेगा एवं दर्शाये गये प्रारूप अनुसार ही वांछित प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य होगा। ।
- सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थी ऑनलाईन पंजीयन करते समय अनिवार्य रूप से वर्ग चिन्हित करें एवं वांछित प्रमाण पत्र प्रारूप के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करे अन्यथा उपरोक्त वर्गों में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा ।
- किसी भी समय पर अगर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रवेश लिया गया है तो संबंधित अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जायेगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
- एकमात्र मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय होने के कारण बी.एफ.एस.सी पाठ्यक्रम में अपग्रेडेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- आवश्यकतानुसार समय सारणी में परिवर्तन किया जा सकता हैं ।
- काऊंसलिंग प्रक्रिया के दौरान म.प्र शासन द्वारा अकस्मिक अवकाश घोषित होने या किसी अन्य कारण से अवकाश घोषित होने पर निर्धारित काऊंसलिंग प्रक्रिया अगले कार्य दिवस में सम्पन्न की जावेगी ।
- दस्तावेज सत्यापन के समय यदि अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक निर्धारित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया गया तो उसका सीट आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा एवं अगले चरण में वह प्रवेश हेतु भाग नहीं ले सकेगा ।
- मूल दस्तावेजों (Original documents) का सत्यापन आवंटित महाविद्यालय पर निर्धारित तिथियों में संपन्न किया जावेगा –

बी.एफ.एससी स्नातक पाठ्यक्रम हेतु

मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय,

संयुक्त पशुधन प्रक्षेत्र, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) दूरभाष. 0761-2680177

अधिष्ठाता संकाय /
अध्यक्ष काऊंसलिंग कमेटी

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर
ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया 2020–21

Bachelor of Fishery Science (B.F.Sc.)

ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु प्रमुख स्टेप

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)
 2. ऑनलाइन आवेदन/पोर्टल शुल्क का भुगतान
(Online application and payment of online application/portal fees)
 3. ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)
 4. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश शुल्क का भुगतान
(Reporting for Admission in allotted college, Documents Verification and payment of admission fees)
- ✓ काउंसलिंग में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्तांको तथा काउंसलिंग कार्यक्रम के आधार पर सम्मिलित होने वाले समस्त श्रेणी के समस्त अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी स्टेप 1 से 4 तक का पालन करना होगा।

1. ऑनलाईन पंजीयन (Online Registration)

समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये वेबसाइट पर ऑनलाईन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। **पंजीयन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।** ऑनलाईन काउंसलिंग में इन्टरनेट के माध्यम से अपने घर/शहर/गांव से वेबसाइट www.ndvsu.org या www.crisponlineservices.com के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं।

- सफलतापूर्वक पंजीयन उपरांत अभ्यर्थी को आई.डी. एवं पासवर्ड SMS/email द्वारा प्राप्त होगा।
- अगली बार अभ्यर्थी अपने आई.डी. एवं पासवर्ड का उपयोग कर लॉगईन कर सकते हैं।
- सभी अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिये पासवर्ड सुरक्षित व गोपनीय रखें ताकि समय-समय पर आवश्यकतानुसार उसका उपयोग करने में परेशानी न हो।
- अभ्यर्थी को यह सुविधा रहेगी की वह कभी भी अपना पासवर्ड बदल सकता है।
- पासवर्ड भूल जाने/गुम जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा **Forget Password** पर क्लिक कर पासवर्ड **Reset** किया जा सकेगा।

2. ऑनलाइन आवेदन/पोर्टल शुल्क का भुगतान

(Online application and payment of online application/portal fees)

सफलतापूर्वक लॉगईन पश्चात अभ्यर्थी अपनी वांछित जानकारी का उपयोग कर पोर्टल शुल्क रु. 200/- (राशि रु. दो सौ मात्र) + GST का ऑनलाइन भुगतान करना होगा जो कि वापसी योग्य नहीं (Non refundable) है। इस के बाद एक पावती प्राप्त होगी जिसमें भुगतान किये गये शुल्क का ब्यौरा मुद्रित होगा। **अभ्यर्थी इस पावती (Receipt) को संभालकर अपने पास रखें।**

- शुल्क भुगतान के लिये निम्नलिखित दिये गये विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।

- इन्टरनेट बैंकिंग (समस्त बैंक)
- एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड (मास्टर/वीजा)

ऑनलाईन शुल्क भुगतान के समय किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए विश्वविद्यालय जबाबदार नहीं होगा।

3. ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)

पी.व्ही. एण्ड एफ.टी. परीक्षा 2020 में प्राप्त प्राप्तांक, पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. परीक्षा 2020 के प्रवेश नियमों, कॉमन मेरिट एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार आवंटन किया जावेगा तथा आवंटित संस्था/प्राध्यक्रम का उल्लेख आवंटन पत्र में होगा। जिसे वे अपने लॉगईन आईडी/पासवर्ड डालकर इसका प्रिंटआउट प्राप्त करेंगे।

4. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति, दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश शुल्क का भुगतान

(Reporting for Admission in allotted college, Documents Verification and payment of admission fees)

अभ्यर्थी स्वयं प्रवेश लेने हेतु आवंटित संस्था में आवंटन पत्र तथा अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक प्रवेश शुल्क के साथ अंतिम निर्धारित तिथि से पूर्व उपस्थित होंगे। निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का आवंटित संस्था में सत्यापित करवाना अनिवार्य होगा—

- पी.व्ही.एण्ड एफ.टी. परीक्षा 2020 की अंक सूची।
- हाई स्कूल (10th) एवं हायर सेकेण्डरी (12th Class) की मूल अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र।
- चरित्र प्रमाण पत्र अन्तिम अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी।
- स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
- मइग्रेशन प्रमाण पत्र।

- तत्काल की चार पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे।
 - सक्षम अधिकारी द्वारा आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
 - मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र।
 - सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
 - यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो उसका शपथ पत्र।
 - पंजीयत चिकित्सक द्वारा जारी रक्त समूह का विवरण व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
 - माता/पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक)
(आरक्षित वर्ग के लिए)
 - ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट
 - आधार कार्ड
- समस्त मूल दस्तावेजों का दो छायाप्रति (फोटोकापी) लाना अनिवार्य होगा।

महाविद्यालय का पता निम्नानुसार है

मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय,

संयुक्त पशुधन प्रक्षेत्र, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.) दूरभाष. 0761-2680177

आवंटित महाविद्यालय में अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् Eligible/ Not Eligible की पावती जारी की जावेगी। चाहे गए दस्तावेज सही होने पर एवं Eligible की पावती प्राप्त होने पर ही आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

इसके पश्चात् आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित तिथि में प्रवेश शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। **कुल शुल्क भुगतान की पावती प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी आवंटित संस्था में प्रवेश के पात्र होंगे।** कुल शुल्क निर्धारित तिथि पर न जमा करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर उसकी सीट रिक्त मानी जायेगी।

शिक्षण शुल्क

बी.एफ.एससी. पाठ्यक्रम

अनारक्षित वर्ग/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश हेतु नीचे दर्शायी गयी निर्धारित शुल्क रूपये 39938/- प्रवेश के दिन ही जमा करना अनिवार्य होगा (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पश्चात् नियमानुसार म.प्र शासन के द्वारा घोषित छात्रवृत्ति अभ्यर्थी के बैंक खाते में शासन द्वारा सीधे जमा कराई जावेगी) ।

1. कुल शुल्क :-

स.क्र.	वर्ष	प्रथम सेमेस्टर (रूपए में)	द्वितीय सेमेस्टर (रूपए में)	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	39938* /-	4510 /-	44448 /-
2	द्वितीय वर्ष	20310 /-	20010 /-	40320 /-
3	तृतीय वर्ष	20310 /-	20010 /-	40320 /-
4	चतुर्थ वर्ष	19610 /-	20010 /-	39620 /-

* शिक्षण शुल्क द्वितीय सेमेस्टर की भी समायोजित है।

2. छात्रावास हेतु शुल्क (उपलब्ध होने पर)

स.क्र.	वर्ष	प्रथम सेमेस्टर (रूपए में)	द्वितीय सेमेस्टर (रूपए में)	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	4710 /-	1710 /-	6420 /-
2	द्वितीय वर्ष	1700 /-	1700 /-	3400 /-
3	तृतीय वर्ष	1700 /-	1700 /-	3400 /-
4	चतुर्थ वर्ष	1700 /-	1700 /-	3400 /-

(विद्युत शुल्क खपत अनुसार एवं भोजनालय की शुल्कों का भुगतान अतिरिक्त देय होगा)

बैंक ड्रॉफ्ट हेतु विवरण

चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आबटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क जमा करने हेतु बैंक ड्रॉफ्ट विवरण निम्नलिखित अनुसार बनवाए ।

स.क्र.	महाविद्यालय का नाम	बैंक ड्रॉफ्ट तैयार करने हेतु विवरण
1	मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, संयुक्त पशुधन प्रक्षेत्र, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.)	NDPCVV Jabalpur, College of Fishery Science Payable at Jabalpur

शुल्क वापसी- सत्र 2020-21 में बी.एफ.एससी. पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के पश्चात् किसी कारणवश प्रवेश निरस्त करने पर शुल्क वापस विश्वविद्यालय नियमानुसार किया जाएगा ।

अधिष्ठाता संकाय
ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर

मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के अन्तर्गत सीटों का आरक्षण एवं वर्गीकरण

महा विद्यालय का नाम	अनारक्षित (यू.आर.)									अनु.जाति (एस.सी.)							अनु.जनजाति (एस.टी.)							अन्य पिछडा वर्ग (ओ.बी.सी.)							महा योग
	X	F	K	FF	S	PH	योग	EWS	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग	X	F	K	FF	S	PH	योग	
जबलपुर	10	5	0	0	0	0	15	02	17	4	1	0	0	0	0	5	4	2	0	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	4	32

वर्ग: F = महिला, K = कृषक, FF = स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, S = सैनिक, PH = दिव्यांग, **EWS** = सामान्य वर्ग के अधिक रूप से कमजोर, X = इनमें से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग